बिहार सरकार

समाहरणालय, सुपौल

(जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल)

सचिव, समाज कल्याण, बिहार, पटना के पत्रांक–748, दिनांक–24.04.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 अन्तर्गत सुपौल जिला के लिए सहायक व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नांकित पात्रता वाले तथा सुपौल जिला के निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं –

पद का नाम	पदों की संख्या	विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व
सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन)	20 (बीस)	35 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 20 प्रतिशत पिछड़ा/अतिपिछड़ा, 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक (इन सभी में 40 प्रतिशत महिला)

सहायक व्यक्ति की पात्रता

1. भारत का नागरिक एवं सुपौल जिला का निवासी होना चाहिए।
2. **शैक्षणिक योग्यता** – समाज कार्य/समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार/परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ–साथ तीन वर्ष का अनुभव।
3. **कार्यानुभव** – बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधिक कार्य/सामाजिक–कार्य/बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय परिषद्/पॉक्सो न्यायालय अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. **आयु सीमा** – न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष।
5. आवेदक के विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो तथा वे कभी भी नैतिक दुराचार का दोषी नहीं रहा हो, इस आशय का शपत्र–पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।
6. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्थान से निष्कासित नहीं किए जाने अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का भी शपथ–पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्तें

1. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन (कार्यालय कार्य अवधि में) दिनांक 07.07.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक निबंधित डाक/हाथों–हाथ जिला बाल संरक्षण इकाई, यादव कॉम्पलेक्स, पिपरा रोड, सुपौल, पिन–852131 (बिहार) में समर्पित करें। उक्त समय–सीमा के पश्चात् आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. कार्यालय के ईमेल पर आवेदन नहीं भेजें। कार्यालय के ईमेल पर भेजे गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, क्योंकि उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पर विचार किए जाने हेतु आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र की मूल प्रति अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन–पत्र के साथ–साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों पर अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाना है।
4. अभ्यर्थी आवेदन के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में पॉक्सो नियम अंतर्गत सपोर्ट पर्सन, सुपौल के लिए आवेदन का स्पष्ट उल्लेख करें।
5. इस विज्ञापन में विज्ञापित पद के लिए चयन–प्रक्रिया सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 748, दिनांक 24.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशोनर्देश के अनुसार होगी। इस दिशा–निर्देश एवं आवेदन का विहित प्रपत्र की जानकारी सुपौल जिला के वेबसाईट https://supaul.nic.in पर उपलब्ध होगा।
6. पद की योग्यता के अनुरूप पात्र आवेदकों को साक्षात्कार एवं आवश्यक कागजात के सत्यापन हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल सुपौल जिले के वेबसाईट https://supaul.nic.in पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से यह सूचना नहीं दी जाएगी, इसलिए आवेदक आवेदन के उपरान्त पात्रता, साक्षात्कार की तिथि एवं चयन संबंधी सूचना इस वेबसाईट से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
7. संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए चयनित अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा किसी भी सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हें चयनित पद के अनुरूप उनके द्वारा किए गए कार्य अवधि के लिए केवल विनिर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उक्त पदों पर चयन हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। किसी संशोधन, विभाग या वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कोई निदेश या अन्य किसी आवश्यक परिस्थिति में इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
सुपौल